कार्यालय उपखण्ड अधिकारी, निम्बाहेडा जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)
पीठासीन अधिकारी :— विकास पंचोली (R.A.S.)

प्रकरण संख्या — 21/2023 प्रार्थना पत्र
GCMS No. - 2023/36

1. नारायण पुत्र खेमरूजी जाति पुर्बिया आयु वयस्क निवासी चान्दखेडा तह० निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ़

—प्रार्थी

बनाम

1. नगर पालिका निम्बाहेडा जरिये अधिशाषी अधिकारी नगर पालिका निम्बाहेडा तह० निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ़ राज०
2. भूमिधारी तहसीलदार साहब निम्बाहेडा, तह० निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ राज०

— विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित :— 1— श्री यागेन्द्र सौलंकी — अधिवक्ता प्रार्थी
2— श्री लक्ष्मण सिंह सौलंकी — अधिवक्ता विपक्षी संख्या 1
3— पेरोकार सरकार तहसीलदार निम्बाहेडा — विपक्षी संख्या 2 स्वयं उपस्थित

:: निर्णय ::

दिनांक 30.08.2024

1. प्रकरण में संक्षिप्त विवरण मामला इस प्रकार है कि प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955 का प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि प्रार्थी की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की आराजियात वाके मौजा मण्डा गुलफरोशान रानीखेडा तह० निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ के खाता नं0 172 की आराजी नं0 598 रकबा 1.2700 हेक्टेयर व आराजी नं0 600 रकबा 1.2600 हे० लगान 8 रुपये 82 पैसा स्थित हैं।

2. प्रार्थी की खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजियात पर आने जाने का एक मात्र रास्ता आराजी नं0 593 की उत्तरी दिशा में पूर्व से पश्चिम व उत्तर से दक्षिण की ओर होता हुआ मुझ प्रार्थी की खातेदारी पर आता जाता है प्रार्थी उक्त 20 फीट चौडे रास्ते से कदिम से अपनी आराजी नं0 598 पर आते जाते फसल लाते ले जाता रहा है प्रार्थी अपने बाप दादा के समय से कदिम से उक्त आराजियात से अपने खातेदारी की आराजियात में कृषि यंत्र लाने ले जाने बैलगाडी ट्रेक्टर आदि लाता ले जाता हैं, तथा प्रार्थी व प्रार्थी से पूर्व खातेदार उक्त कदिमी रास्ते के अलावा किसी भी अन्य रास्ते से आ जा नही सकते हैं क्योंकि प्रार्थी की आराजी पर आने जाने का एक मात्र [illegible] रास्ता बंद हो गया तो प्रार्थी अपनी आराजी पर आ जा नही स[illegible]ल की बुवाई कटाई नही कर सकेगा, इसलिए प्रार्थी को [illegible] लाने ले जाने, बैलगाडी ट्रेक्टर आदि ल[illegible] की आराजी नं0 598 पर जाने हेतु विपक्षी नं० 1 की आराजी नं0 593 की उत्तरी दिशा में पूर्व से पश्चिम [illegible] से दक्षिण की ओर होता हुओ प्रार्थी की आराज[illegible]नं० 5984 पर आने जाने [illegible] दिलाया जाना आवश्यक एवं न्यायोचित है, विपक्षीगण प्रार्थी के उक्त कदीमी रास्ते में जबरन अवरोध पैदा कर प्रार्थी के रास्ते को बंद करने की नियत से उक्त रास्ते को

कार्यालय सहायक कलक्टर निम्बाहेडा—जिला चित्तौडगढ (राज.)

सहायक कलक्टर
निम्बाहेडा

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2024.10.10 15:58:02 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner

अपना होना बताकर रास्ते की जमीन पर जबरन नाजायज कब्जा करने की नियत से, रास्ते को बंद करने की नियत से रास्ते में खंडे पत्थर डाल कर, अवैध निर्माण कर रास्ते को बंद करने पर आमादा हैं तथा रास्ते के स्वरुप में परिवर्तन करने पर आमादा है. तथा प्रार्थी व गांव के मौतबिर व्यक्तियों द्वारा विपक्षी नं० 1 को समझाने बुझाने पर भी नही मान रहा है, जबकि उक्त 20 फीट काबिज होकर काश्त कर रहा हैं।चौडा गाडी गडार रास्ता प्रार्थी की आराजियात पर आने जाने का एक मात्र कदीमी रास्ता हैं उक्त रास्ते के अलावा अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता मौके पर मौजुद नहीं हैं उक्त रास्ते का उपयोग उपभोग प्रार्थी कदीम से बिना किसी बाधा के करता चला आ रहा हैं। आराजी नं0 593 जो कि विपक्षी नं० 1 के नाम खातेदारी में दर्ज चली आ रही हैं। इसलिए आवश्यक पक्षकार होने से उनको पक्षकार बनाया गया हैं।

3. प्रार्थीगण ने विपक्षी नं० 1 की आराजी नं0 593 की उत्तरी दिशा में पूर्व से पश्चिम व उत्तर से दक्षिण की ओर होता ह्र 600 हुआ प्रार्थी की आराजी नं0 598 पर जाने वाले उक्त 20 फीट चौडे रास्ते की भूमि के बदले प्रार्थी डी.एल.सी.रेट के अनुसार जो भी रकम बनती है वह रकम प्रार्थी विपक्षी नं० 1 को देने के लिए तैयार हैं परन्तु वह उक्त भूमि या रकम नही ले रहा हैं। विपक्षीगण दिगर लोगो के सिखावे में आकर जबरन उक्त कदिमी रास्ते को बंद करना चाहते है और रास्ते मे अवरोध पैदा करना चाहते है प्रार्थी का उक्त रास्ता एक मात्र कदिमी रास्ता है। उक्त रास्ते को बंद कर देने की सुरत मे प्रार्थी का अपनी आराजियात पर आने जाने का उक्त एक मात्र रास्ता बंद हो जाने पर प्रार्थी की आराजियात पडत पडी रह जावेगी, और प्रार्थी की भूमि को हर सुरत मे पडत रखवाने पर विपक्षीगण आमादा है, जिससे प्रार्थी को अपूर्णीय क्षति होगी इसलिए विपक्षीगण द्वारा उक्त रास्ते की भूमि की किमत डि.एल.सी.रेट से नही लेने से प्रार्थी उक्त राशि माननीय न्यायालय के आदेशानुसार माननीय न्यायालय में जमा करा कर राजस्व रेकार्ड में व राजस्व नक्षे में उक्त रास्ते को दर्ज कराने का अधिकारी है, तथा प्रार्थी की आराजियात पर आने जाने का एक मात्र कदीमी रास्ते को बदस्तुर

4. प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर्ड किया गया, विपक्षी संख्या 1 ने जवाब प्रस्तुत कर कानून में नगर पालिका की आबादी क्षेत्र में रास्ता लेने का कोई प्रावधान नहीं है। यह केवल कृषि आराजियात को लेकर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम बनाया गया है। आबादी क्षेत्र में यह लागू नहीं होती है इसलिये उक्त रास्ता नगर पालिका से प्रार्थी ले ही नहीं सकता है। नगर पालिका की आराजियात है जो आबादी प्रयोजनार्थ हैं काश्त के लिये नहीं है। आबादी प्रयोजनार्थ भूमि से रास्ता कायम करने का प्रार्थी को कोई कानूनी हक अधिकार नहीं हैं और ना ही कदीमी रास्ता है। उक्त बताई गई दिनांक को कभी भी नगर पालिका ने आने जाने के लिये मना नहीं किया तथा प्रार्थी द्वारा गलत कथन किया गया । तहसीलदार निम्बाहेडा ने रिपोर्ट मय मौका इस कार्यालय कों प्रस्तुत कि उक्त खातेदारी भूमि में आने–जाने हेतु मौके पर कदीमी रास्ता, जो कि ग्राम मण्डागुलफरोशान से दक्षिण दिशा में आराजी नं. 1015/1116 रकबा 0.31 है0 गै. मु. रास्ता बिलानाम से होकर आ रहा है। आगे आकर आरानी नं. 593 रकबा 0.71 हैक्टेयर नगरपालिका निम्बाहेडा आबादी प्रयोजनार्थ में से होकर मौके [illegible] भाग पर नजरी नक्शा अनुसार बना हुआ है। जिसमें आराजी नं. 5[illegible] की [illegible] अधिक भूमि प्रस्तावित होकर रास्ते के उपयोग में आ रही [illegible] अनुसार आराजी नं. 593 के दक्षिणी सीमा पर [illegible] मीटर लम्बाई, 6 मीटर चौडाई की रास्ते की कुल भूमि 324 वर्गमीटर भूमि प्र[illegible]वित होकर रास्ते के उपयोग में आयेगी। उक्त आराजी नं. 593 रकबा 0.71 हैक्टेयर नगरपालिका निम्बाहेडा के नाम आबादी प्रयोजनार्थ दर्ज रिकार्ड है। श्री नारायण पिता खेमा पूर्विया निवासी चान्दखेडा मौजा मण्डागुलफरोशान में अपनी खातेदारी भूमि आराजी नं. 598 में पहुँचने हेतु यही एकमात्र रास्ता है। इसके अलावा कोई वैकल्पिक रास्ता नही है। प्रार्थी के अपनी खातेदारी आराजी पर पहुँचने का यही निकटतम रास्ता है। उक्त

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2024.10.10 15:38:02 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner

रास्ता सुविधा के लिए नहीं होकर, वादी की आराजियात में पहुँचने हेतु रास्ते की अत्यधिक आवश्यकता है। उक्त प्रस्तावित भूमि मौके पर पडत होकर, एन.एच. 113 से पूर्व दिशा में लगभग 300 मीटर दूर है। उक्त रास्ते की डीएलसी रेट 1539353 प्रति हैक्टेयर के अनुसार रकबा 324 वर्गमीटर रास्ते हेतु डीएलसी की दुगनी राशि 99760/— रूपये बनते है।

5. दोनो पक्षो के अभिवचनो के आधार पर बहस उभयपक्ष सूनी गई । पत्रावली का अवलोकन किया गया प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में प्रस्तुत दस्तावेज का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया गया एवं विद्वान अधिवक्ता की बहस में मनन किया गया।

6. प्रकरण में प्रार्थना पत्र के साथ अप्रार्थी तहसीलदार की मौका—रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। बहस पर मनन किया गया। प्रकरण में तथ्यों का गहन विश्लेषण से पूर्व राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955 की धारा 251—'क' का उद्धरण यहाँ प्रतीत होता है—

धारा 251—क— अन्य खातेदार की जोत में से होकर भूमिगत पाइपलाइन बिछाना या नया मार्ग खोलना या विद्यमान मार्ग का विस्तार करना—(1) जहाँ
(क) कोई अभिधारी, अपनी जोत की सिंचाई के प्रयोजन के लिए किसी अन्य खातेदार की जोत में से होकर भूमिगत पाइपलाइन बिछाना चाहता है या
(ख) कोई अभिधारी या अभिधारियों का कोई समूह अपनी जोत या, यथास्थिति, उनकी जोतों तक पहुचने के लिए अन्य खातेदार की जोत में से एक नया मार्ग बनाना चाहता है, या किसी विधमान मार्ग को विस्तारित या चौड़ा करना चाहता है—
और मामला पारस्परिक सहमति से तय नहीं होता है तो ऐसा अभिधारी या, यथास्थिति, ऐसा अभिधारी ऐसी सुविधा के लिए सम्बधित उपखण्ड़ अधिकारी को आवेदन कर सकेगे, और उपखण्ड़ अधिकारी, यदि सक्षिप्त जॉच के पश्चात उसका समाधान हो जाता है कि—

(1) यह आवश्यकता आत्यंतिक आवश्यकता है और यह जोत के केवल सुविधाजनक उपभोग के लिए नहीं है, और

(2) अन्य खातेदार की जोत में से होकर, विशिष्ठ नये मार्ग के मामले में, पहुचने के वैकल्पिक साधन का अभाव सिद्ध किया गया है—
तो आदेश द्वारा, आवेदक को, अभिधारी को, जो उस भूमि को धारित करता, द्वारा सीमांकित या दर्शित लाईन के साथ—साथ भूमि की सतह से कम से कम 3 फिट नीचे पाईप लाईन बिछाने के लिए या ऐसे ट्रैक पर, जो उस अभिधारी द्वारा जो उस भूमि को धारित करता है, दर्शाया जाये, भूमि में से होकर, और यदि ऐसे ट्रैक दर्शित नहीं किया जाये तो **लघुत्तम या निकटतम रूट** से एक नया मार्ग जो 30 फिट से अनाधिक तक विस्तारित या चौड़ा करने के लिए, उस अभिधारी को, जो उस भूमि को धारित करता है, जिसमें से होकर पाईप लाईन बिछाने या एक नया मार्ग बनाने या विद्यमार्ग को चौड़ा करने का मार्ग मंजूर किया जाये, ऐसे प्रतिकर के संदाय पर जो विहित रीति से उपखण्ड अधिकारी द्वारा अवधारित किया जाये, अनुज्ञात कर सकेगा।

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2024.10.10 15:58:02 IST
Reason: SelfAttested

(1) जहाँ—उपधारा (1) के अधीन नये या किसी विद्यमान मार्ग को विस्तारित करने या चौड़ा करने का मार्ग मंजूर किया जाये वहां ऐसे मार्ग को समाविष्ट करने वाली उस भूमि के संबंध में अभिधृति निर्वापित की हुई समझी जायेगी और वह भूमि राजस्व अभिलेखों में "रास्ता" के रूप में अभिलिखित की जायेगी।

न्यायालय सहायक कलक्टर (प्र.) निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़

सहायक कलक्टर
निम्बाहेड़ा

Scanned by CamScanner

(2) वे व्यक्ति, जिनको उपधारा (1) में निर्दिष्ठ सुविधाओं में से किसी भी सुविधा के उपभोग के लिए अनुज्ञात किया गया है, उक्त सुविधा के आधार पर उस जोत में, जिसमें से होकर ऐसी सुविधा मंजूर की जाये, कोई भी अन्य अधिकार अर्जित नहीं करेंगे।

7. उक्त राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251–क एवं राजस्थान काश्तकारी (सरकार) नियम 1955, के नियम 68 लगायत 70 के उद्धरण से स्पष्ट है कि धारा 251–क के अन्तर्गत कोई खातेदार अपनी आराजी तक कृषि कार्य बाबत् आमद–रफत हेतु अन्य खातेदारों की आराजी में से होकर रास्ता रिकार्डेड अंकित करवा सकता है। इस हेतु उक्त राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251–क निम्न पूर्वशर्तो को आरोपित करती है जो इस प्रकार है–

1. खातेदार की रास्ते बाबत् अन्य रिकॉर्डेड रास्ते के विकल्प की अनुपस्थिति।
2. खातेदार की रास्ते बाबत् आत्यान्तिक आवश्यकता।
3. लघुत्तम दूरी का नवीन मार्ग के विकल्प का प्रस्ताव।

8. प्रार्थना पत्र में वर्णित आधारो एवं दस्तावेज के आधार पर संक्षिप्त सार यह है कि मौजा मण्डा गुलफोरशन पटवार हल्का रानीखेडा की वादग्रस्त आराजियात 593 रकबा 0.71 हैक्टेयर आबादी प्रयोजनार्थ होने से एवं नही कदीमी रास्ता होने से रास्ता नहीं दिया जा सकता है। ऐसी स्थिति में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नहीं है।

8. अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम साबित नहीं होने से खारीज किया जाता है। प्रकरण फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 30.08.2024 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया

(विकास पंचौली)
उपखण्ड अधिकारी
निम्बाहेडा
सहायक कलक्टर
निम्बाहेड़ा

Signature Not Verified

Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2024.10.10 15:38:02 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner